तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/8/19		

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।
मामले में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट पक्ष का कहना है कि वे रिकार्डेड खातेदार हैं और मौके पर हक-हिस्से अनुसार काबिज हैं; रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती लिहाजा राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर अपील (स्वीकार) योग्य है।

रेस्पोंडेंट पक्ष का कथन है कि मौके पर उभय पक्ष अपने-2 हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं और खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा अधी. न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर एवं सभी पहलुओं पर विचार कर जो निर्णय दिया है वह सही है। लिहाजा अपील को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है और उभय पक्ष के परिवारों को उनके सजरे के मुताबिक सेटलमेंट के वक्त हक-हिस्से नहीं मिल पाए लिहाजा दावे किये गए। एक पक्ष द्वारा वर्ष 1980 में दावा किया जिसमें बाकायदा राजीनामा होकर हिस्से घोषित हो चुके हैं, शेष रहे रेस्पोंडेंट का दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। वक्त सेटलमेंट से लगातार आज तक सभी पक्ष वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त हैं चाहे वे खातेदार हैं या नहीं। इस हिसाब से परिवारों के बीच कोई रोक टोक भी नहीं आई। एक ही परिवार के इतनी सुदीर्घ अवधि तक शांतिपूर्ण तरीके से सभी सदस्यों / परिवारों का सहअस्तित्व भी मायने रखता है। इन सब परिस्थितियों एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए मामले में वादग्रस्त भूमि के मौके, एक दूसरे के कब्जे काश्त की यथास्थिति बनाये रखे जाना न्यायसंगत है ताकि मामले में संतुलन की स्थिति बनकर शांति कायम रहे। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है इसलिए वादोंका का वाद निर्णित होने तक वादग्रस्त आराजी का हस्तांतरण भी नहीं होना लाजमी है ताकि आगे और कोई पेचीदगी नहीं बढ़े। मामला प्रथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु रेस्पोंडेंट (वादी पक्ष) के पक्ष में प्रतीत होने से अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है। पत्रावली कोर्ट सुमार होकर नंबर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner